सहकारी संस्थागत सेवामण्डल/निबन्धक सहकारी समितियां,उत्तराखण्ड

59/1 इन्दर रोड़, डालनवाला, देहरादून

आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की अन्तिम तिथि 16.06.2015

उत्तराखण्ड के जिला सहकारी बैंकों में वर्ग–1, वर्ग–2 एवं वर्ग–3 के रिक्त पदों पर उपयुक्त अभ्यर्थियोंके चयन हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैः–

आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 रू0 एवं अनु0जाति/जनजाति एवं विकलांग अभ्यर्थियों के लिए 300 रू0 के नकद भुगतान पर राज्य के किसी भी जिला सहकारी बैंक की मुख्यालय शाखा से दिनांक 08.05.2015 से दिनांक 08.06.2015 तक (कार्यदिवस में प्रातः 10:30 बजे से अहराहन 2:30 बजे तक) प्राप्त किये जा सकते है। उक्त शुल्क आवेदन पत्र निर्गत हो जाने के पश्चात् किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो शुल्क छूट का लाभ प्राप्त करना चाहतें है उन्हें उक्त से सम्बन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त ही 300 रु0 की रियायती दर पर आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का नाम एवं आरक्षित वर्ग अंकित करने के पश्चात ही आवेदन पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

यह रिक्तियां अस्थाई हैं, किन्तु उनके चलते रहने की सम्भावना है। रिक्तियों की संख्या घट–बढ़ सकती है। अपरिहार्य परिस्थिति में निबन्धक, सहकारिता को रिक्तियां निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। आवेदन पत्र भरने से पूर्व विज्ञापन सावधानी पूर्वक पढ़ लिया जायें।

रिक्तियों का विवरण समस्त जिला सहकारी बैंकों का निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	रिक्तियों का वर्ग/पदनाम/वेतनमान	पदों की संख्या	आरक्षण श्रेणीवार			
			सामान्य	अनु जाति	अनु जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग
1	वर्ग–1 (वरिष्ठ शाखा प्रबन्धक/अनुभाग अधिकारी) – वेतनमान 11500–32950	14	08	06	–	–
2	वर्ग–2 (कनिष्ठ शाखा प्रबन्धक/वरिष्ठ सहायक) वेतनमान 10050–28300	66	38	17	03	08
3	वर्ग–3 (लिपिक/कैशियर) वेतनमान 8500–22550	217	147	39	05	26

नोटः–(बैंकवार क्षैतिज आरक्षण का विवरण, विवरण पुस्तिका में स्पष्ट दर्शित है।)

प्रत्येक अभ्यर्थी को अपने प्रार्थना–पत्र में नियुक्ति के सम्बन्ध में विकल्प के रूप में वरीयता के कम में राज्य के समस्त जिला सहकारी बैंकों का नाम अंकित करना होगा जिससे कि मैरिट कम च्वाइस के आधार पर उसे बैंक आवंटित किया जा सके। विकल्प में कोई परिवर्तन स्वीकार्य नहीं होगा। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति सम्बन्धित बैंक में होगी जो अन्य जिला सहकारी बैंकों में स्थानान्तरित नहीं होगी।

अर्हतायें:–

1. **आयु**–उपरोक्त सभी वर्गों हेतु अभ्यर्थियों की आयु **01 जनवरी 2015 को 21** वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और उन्हें 42 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए अर्थात उनका जन्म 1 जनवरी 1994 के बाद का न हो तथा 1 जनवरी 1973 के पूर्व का नही होना चाहिए।

   उत्तराखण्ड के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष, समाज के विकलांग अभ्यर्थियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष, आपात कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्प कमीशन प्राप्त अधिकारियों/भूतपूर्व सैनिकों के लिये अधिकतम आयु सीमा में उनके द्वारा सेना में की गयी सम्पूर्ण सेवा अवधि के अतिरिक्त 03 वर्ष, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट होगी।

❖ आयु सीमा में उक्त छूट केवल उत्तराखण्ड के स्थायी निवासी को ही अनुमन्य होगी।

2. **शैक्षिक योग्यता**–

   भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक तथा कम्प्यूटर संचालन का सामान्य ज्ञान।

3. **आरक्षणः–** उत्तराखण्ड शासन के शासनादेशानुसार बैंकवार/वर्गवार आरक्षण की स्थिति एवं क्षैतिज आरक्षण की स्थिति का विवरण, विवरण पुस्तिका (Prospectus) में स्पष्ट दर्शित किया गया है।

4. **पात्रता की शर्तें** :–

(1) आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारियों की पात्रता–आपात कमीशन प्राप्त/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी, जो सेना से अवमुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जिनकी सेना में पुर्नवास के लिए वृद्विकी गयी है, भी इस परीक्षा के लिए शासनादेश संख्या–22/10/1970–कार्मिक–2, 85 दिनांक 30 जनवरी, 1985 के अनुसार निम्नलिखित शर्तो पर आवेदन कर सकते हैं –

(क) ऐसे आवेदकों को थल सेना, नौ सेना, वायु सेना के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा कि उनकी सेवा में वृद्दि, पुर्नवास के लिए की गयी है। ओर उनके विरूद्दकोई अनुशासनात्मक कार्यवाही लम्बित नहीं है।

(ख) ऐसे आवेदकों को यथा–समय यह लिखित अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करना होगा कि आवेदित पद के लिए चुन लिये जाने पर वे अपने को सैन्य सेवा से तत्काल अवमुक्त करा लेगें। आपात/अल्पकालिक कमीशन प्राप्त अधिकारी को यह सुविधा अनुमन्य नहीं होगी। यदि उसे सेना में स्थाई कमीशन प्राप्त हो गया है अथवा वह त्यागपत्र देकर सेना से अवमुक्त हुआ है अथवा वह सेना से कदाचार के कारण अवमुक्त हुआ है।

5. **चयन प्रकिया**– अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया जायेगा। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जायेगा। परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। परीक्षा अवधि परीक्षा समिति के द्वारा निर्धारित की जायेगी। विभिन्न विषयों के प्रश्नों की अनुमानित संख्या निम्नवत् होगी।

   वर्ग–1 एवं वर्ग–2 के पदों हेतु लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र दो भागों में होगा (भाग–1 तथा भाग–2), कुल अंक–200, समयावधि 3 घण्टे होगी तथा सम्मिलित विषय निम्नवत् होंगे–

1. प्रश्न पत्र का भाग–1– सामान्य ज्ञान–अंक 100, कुल 100 बहुविकल्पीय प्रश्न(1/4 ऋणात्मक अंक,) प्रश्नों की अनुमानित संख्या निम्नवत् होगीः–

   क) उत्तराखण्ड का इतिहास और संस्कृति 20 प्रश्न
   ख) गणित 20 प्रश्न
   ग) भारत का संविधान व पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 15 प्रश्न
   घ) बौद्विक क्षमता 15 प्रश्न
   ड) अंग्रजी (English Language) और हिन्दी 20 प्रश्न
   च) कम्प्यूटर ज्ञान 10 प्रश्न

2. प्रश्न पत्र का भाग–2 एप्टीटयूड टेस्ट अंक 100, प्रश्न 100 (1/4ऋणात्मक अंक)–

   बैंक पी0ओ0 परीक्षा समतुल्य वस्तुनिष्ठ आधारित होगा।

वर्ग–3 के पदों हेतु लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषय–(अधिकतम अंक 100, अवधि–2 घंटा, बहुविकल्पीय प्रश्न, 1/4 ऋणात्मक अंक)

1. सामान्य अध्ययन जिसमें राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक विषय भी सम्मिलित होगें –25 प्रश्न
1. सामान्य अंक गणित। (हाईस्कूल स्तर) –30 प्रश्न
3. रीजनिंग/मैंटल एबिलिटी। –20 प्रश्न
4. हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा का ज्ञान। –15 प्रश्न
5. कम्प्यूटर ज्ञान सम्बन्धी। –10 प्रश्न

सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु 33 प्रतिशत न्यूनतम अर्हता अंक होंगे।

6.आवेदन पत्रों का प्रेषणः–

1. एक से अधिक पद के लिए आवेदन के इच्छुक आवेदनकर्ता को प्रत्येक पद के लिए पृथक पृथक आवेदन करना अनिवार्य होगा।
2. आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर ही मान्य होगें।
3. पूर्ण रूप से भरे आवेदन पत्र समस्त अमिलेखों सहित दिनांक 16.06.2015 तकपंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से संयोजक परीक्षा एवं चयन, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, लैम्बर्ड स्क्वायर अतिथि गृह,पंतनगर 263145 जनपद उधमसिंहनगर, उत्तराखण्ड के कार्यालय में प्राप्त होना आवश्यक है। सीधे आवेदन पत्र स्वीकार नहिं किए जायेंगे तथा नियत तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र मान्य नहीं होंगे।
4. एक लिफाफे में केवल एक ही आवेदन पत्र प्रेषित किया जायेगा।
5. परीक्षा की तिथि, समय व स्थान यथासमय पृथक से सूचित किया जायेगा।

7.अन्य–

1. अभ्यर्थी भारत का नागरिक हो।
2. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए जिसके लिए आवेदन के साथ स्थायी निवास प्रमाण पत्र/सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जीवित (Valid) हो, संलग्न करना अनिवार्य होगा परन्तु राज्य सरकार के सेवारत नियमित कर्मचारियों को सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण की बाध्यता नहीं होगी किन्तु उन्हें प्रार्थना पत्र के साथ नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर संलग्न करना आवश्यक होगा। शासनादेश संख्या 1042/XXX(2)/2008, दिनांक 20.08.2008 के अनुक्रम में वीरगति प्राप्त सैनिकों के आश्रितों के लिए सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन की छूट होगी।
3. ऐसे पुरूष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियां हों अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थिनी, जिसमेंएक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो अपात्र माने जायेंगें।
4. अभ्यर्थी/अभ्यर्थिनी जिनके विरूद्ध किसी नैतिक अपराध का दोष सिद्ध हो चुका हों नियुक्ति हेतु अपात्र माने जायेंगें।
5. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/किसी स्थानीय निकाय/निगम से पदच्युत अभ्यर्थी नियुक्ति हेतु अर्ह नहीं होगें।
6. अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
7. अभ्यर्थी द्वारा चयन के लिए किसी भी प्रकार के दबाव को उसकी अयोग्यता समझा जायेगा।
8. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न करनी आवश्यकीय होगी।

(क) आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र।

(ख) स्थायी निवास प्रमाण पत्र तथा सेवायोजन कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र जो आवेदन की तिथि से पूर्व का हो एवं जीवित (Valid) हो।

(ग) शैक्षिक योग्यता, आयु व अनुभव प्रमाण पत्र।

9. इस विज्ञापन के द्वारा नियुक्तियों की प्रकिया से सम्बन्धित किसी भी विवाद की स्थिति में कोई भी सूचना देने के लिए गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय पंतनगर सीधे उत्तरदायी या वादी नहीं होगा। विश्वविद्यालय केवल विभाग के माध्यम से उत्तरदायी होगा।
8. **परीक्षा केन्द्र**–लिखित परीक्षा श्रीनगर, ऋषिकेश, देहरादून, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, तथा पंतनगर स्थित केन्द्रों में सामान्यतः संचालित की जायेगी। परीक्षा केन्द्रों के स्थान यथा आवश्यकता घटाये, बढ़ाये या बदले जा सकते हैं।

(नोटः–अन्य सभी महत्वपूर्ण निर्देश आवेदन पत्र के साथ संलग्न विवरण पुस्तिका में दिये गये हैं।)

(विजय कुमार ढौंडियाल)
निबन्धक